मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड,

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल, फोन : 0755–2543175, 4903018
E-mail: mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in - Website : www.mpwaqfboard.org

क्र. /ITCELL/2018/ भोपाल, दिनांक

परिपत्र

वक़्फ बोर्ड की भूमि पर केन्द्रीय भण्डारण निगम की योजना अनुसार गोदाम बनाने बाबत।

केन्द्रीय भण्डारण निगम (Central Warehousing Corporation) भारत सरकार का उपक्रम है। केन्द्रीय भण्डारण निगम भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खाद्याान्नों व अन्य कृषि उत्पादों सहित 400 से अधिक सूचीबद्ध वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समूचे देश में विभिन्न नीतियों के सुचारू क्रियान्वयन की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। वास्तविक कृषकों को उनकी कृषि उपजों के भण्डारण हेतु भण्डारण शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट भी प्रदान की जाती है। जमा स्कंध के विरूद्ध उन्हें डल्लू.डी.आर.ए. द्वारा जारी निगोशिएबिल भण्डारगृह रसीद प्रदान की जाती है जिस पर दर्शायी गई कृषि उपज की कुल कीमत का अधिसूचित बैंकों द्वारा 75 प्रतिशत या उससे अधिक ऋण प्रदाय करने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है।

प्रबंधक के लेख अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम के कुल 27 केन्द्रीय भण्डारगृह कार्यशील है। जिसमें से 24 केन्द्रों पर स्वनिर्मित गोदामों एवं 3 केन्द्रों पर किराए के गोदामों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। अधिकाधिक जगहों पर केन्द्रीय भण्डारण निगम को स्वनिर्मित भण्डारगृह बनाने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड से जिला भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर, हरदा, उज्जैन, विदिशा, शहडोल, देवास, बुरहानपुर एवं कटनी कुल 14 जिलों में न्यूनतम 08 से 10 एकड़ भूमि क्रय प्रक्रिया अथवा अधिग्रहण के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। स्वंय वक़्फ अपने क्षेत्र में उक्त कार्य कर सकते हैं, जिस हेतु योजना बनाकर नवाडको(NAWADCO)से आर्थिक सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।

अतः समस्त मुतवल्ली/प्रबंध समितियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वक्फ हित में नियमानुसार प्रस्ताव बनाकर शीघ्र कार्यालय वक्फ बोर्ड को प्रेषित करें । अधिक जानकारी हेतु बोर्ड के दूरभाष 0755–4903018 से सम्पर्क करें। कृपया इसे प्राथमिकता दें।

(डॉ0 यूनुस खान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

पृष्ठा. क्र./ITCELL/2018/ 3340 भोपाल दिनांक 31-7-18
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. निज सचिव, मान. मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन, पिछडर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल।
2. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़र्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. निज सहायक, मान. अध्यक्ष महोदय वक्फ बोर्ड भोपाल।
6. समस्त जिला/तहसील वक्फ कमेटी मध्यप्रदेश।
7. समस्त वक्फ प्रबंध कमेटी/मुतवल्ली, मध्यप्रदेश।
8. सचिव, सोल ट्रस्टी शिया दाऊदी बोहरा समाज बद्री महल फोर्ट मुम्बई।
9. आई.टी.सेल मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल